न्यायालय सिविल जज(सी0 डि0)/एफ०टी०सी, रायबरेली।

उपस्थित–अन्जू काम्बोज(उ०प्र०न्यायिक सेवा)

मूलवाद संख्या–353/2002

1– माता प्रसाद पुत्र शिवप्यारे।

2– संजय मोहन पुत्र शिवप्यारे।

3– आशाराम पुत्र शिवप्यारे।

4– करूणाशंकर पुत्र शिवप्यारे।

5– बिन्दाप्रसाद पुत्र महाबीर।

6– दयाराम पुत्र महाबीर।

7– दर्शन पुत्र महाबीर।

8– भगवानदीन पुत्र दुलारे।

9– पुत्तीलाल पुत्र सुखलाल।

समस्त निवासीगण ग्राम अकोहरिया, परगना–खीरों, तहसील–लालगंज, जिला–रायबरेली।

................................वादीगण

बनाम

1– उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, शाखा–लालगंज, जिला–रायबरेली द्वारा शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा–लालगंज, जिला–रायबरेली।

2– सूर्यबली (मृतक) पुत्र मोहन यादव

2/1– गंगादेई पत्नी सूर्यबली।

2/2– शिवप्रताप पुत्र सूर्यबली।

2/3– जगदम्बा पुत्र सूर्यबली।

2/4– गुरूप्रसाद पुत्र सूर्यबली।

2/5– प्रहलाद पुत्र सूर्यबली।

समस्त निवासीगण ग्राम अकोहरिया, परगना–खीरों, तहसील–लालगंज, जिला–रायबरेली।

2/6– श्रीमती शान्ती देवी पत्नी रामसनेही, निवासिनी रामपुर भीतर गांव, तहसील–लालगंज, जिला–रायबरेली।

2/7– श्रीमती सुशीला देवी पत्नी रामबरन, निवासिनी डलई का पुरवा, मजरे–घोडई, परगना/तहसील/जिला–रायबरेली।

2/8– श्रीमती माधुरी उर्फ गुधरा पत्नी रामविलास, निवासिनी कोइली का पुरवा, जिला–रायबरेली।

. ...प्रतिवादीगण

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है।

वादी द्वारा वाद पत्र में कहे गये कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या–2 ने प्रतिवादी संख्या–1 से ट्रैक्टर खरीदने के लिये दिनांक 17.06.1981 को मु० 60,000/– रूपये का नकद ऋण लिया था। जिसके जमानतगीर वादीगण संख्या–1 ता 4 माताप्रसाद, संजय मोहन, आशाराम, करूणा शंकर पुत्रगण शिवप्यारे के पिता स्व० शिवप्यारे एवं वादीगण संख्या–5 ता 7 के बिन्दाप्रसाद, दयाराम व दर्शन पुत्रगण महाबीर के पिता महाबीर एवं वादीगण संख्या–8 व 9 भगवानदीन पुत्र दुलारे व पुत्तीलाल पुत्र सुखलाल के नाना देवीदीन थे। प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से उक्त जमींदारान ने प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में अपनी भूमि तत्कालीन खाता संख्या–140 वर्ष 1385 फ० स्थित ग्राम अकोहरिया, परगना–खीरों, तहसील–लालगंज, जिला–रायबरेली बतौर गिरवी रखी दी थी जिसके विषय में प्रतिवादी संख्या–2 ने उक्त जमींदारान के पक्ष में एक इकरारनामा इस आशय का लिख दिया था कि वह सम्पूर्ण ऋण की अदायगी स्वयं करेगा और जमींदारान की बंधक शुदा जमीन पर किसी प्रकार का कोई भार कभी भी नहीं आवेगा। जमींदारान जो वादीगण के मूरिसान थे उनकी जिन्दगी में ऋण की अदायगी की कभी कोई नोटिस आदि नहीं आई और क्रमशः सन 1987 में शिवप्यारे 1988 में महाबीर और सन 1889 में देवीदीन की मृत्यु हो गयी तथा उनके मरणोपरांत वादीगण बतौर वारिस उनकी समस्त चल–अचल सम्पत्ति पर काबिज व दखील चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या–2 जो काफी चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है उसने अपनी भूमि उक्त संविदा में प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में गिरवी रखी थी और ट्रैक्टर संख्या–यू०एस०यू० 4974 खरीदा जिसे उसने पुनः किसी अन्य के पक्ष में बेंच दिया और वर्तमान समय में उसने दूसरा ट्रैक्टर खरीद रखा है। प्रतिवादी संख्या–2 ने प्रतिवादी संख्या–1 के यहां जो ऋण ट्रैक्टर खरीदने हेतु लिया था उसका खाता संख्या एस०ए०नं०–9/18 था और दिनांक 06.03.1999 को उसने अपने नाम का समस्त बकाया ऋण प्रतिवादी संख्या–1 को अदा करके अपना No dues cirtificate हासिल कर लिया। प्रतिवादी संख्या–1 जिसके पास वादीगण के मूरिसान ने अपनी भूमि प्रतिवादी संख्या–2 के कर्ज लेने के एवज में बंधक रखी थी। प्रतिवादी द्वारा ऋण अदा कर देने के बाद वह भूमि स्वमेव बंधक मुक्त हो गयी और सन 1981 से अब तक अथवा जब तक बंधक कर्तागण जीवित रहे उन्हें ऋण बकाया होने अथवा ऋण अदायगी की कोई सूचना अधवा नोटिस नहीं दी गयी वरन उनके मरणोपरांत तथा दिनांक 06.03.1999 को प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा समस्त ऋण अदा करने के बाद प्रतिवादी संख्या–1 ने बदनियती से वादीगण के विरूद्ध नाजायज तरीके से 1,83,000/– की नोटिस भेजी है जब कि वादीगण अथवा उनके मूरिसान ने कभी भी बैंक से कोई ऋण

नहीं प्राप्त किया है और न ही उनके ऊपर कोई ऋण बकाया है। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा वादीगण के विरूद्ध भेजी गयी वसूली की नोटिस निम्न कारणों से सरासर फर्जी नाकिस विधि–विरूद्ध Null एवं Void घोषित किये जाने योग्य है। वादीगण अथवा उनके मूरिसान ने कभी भी प्रतिवादी संख्या–1 से कोई ऋण नहीं लिया और न उनके नाम कोई ऋण का कोई खाता ही कभी खोला गया है। मूरिसान वादीगण ने प्रतिवादी संक्या–2 की बैंक Guarantee ली थी और प्रतिवादी संख्या–2 ने दिनांक 06.03.1999 को समस्त ऋण बैंक को अदा करके No Due का प्रमाणपत्र हासिल कर लिया है। प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा ऋण अदा कर देने के बाद बंधक शुदा समस्त जायदाद स्वमेव बंधकमुक्त हो गयी है। प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा किए गए अनुबन्ध के मुताबिक वादीगण का भूमि अथवा वादीगण किसी भी किस्म के ऋण के अदा करने के जिम्मेदार नहीं है। जब तक ऋण प्राप्तकर्ता यानी प्रतिवादी संख्या–2 जीवित है और उसकी बंधक शुदा सम्पत्ति मौजूद है। तब तक ऋणकर्ता Guarantors की नोटिस भेजने अथवा उनकी सम्पत्ति कुर्क करने का कोई अधिकार बैंक प्रतिवादी संख्या–1 को नहीं है। कथित ऋण वर्ष 1981 का कहा जाता है जिसके विषय में 22 साल का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद कोई नोटिस अथवा वसूली परिपत्र जारी न होने के कारण उक्त ऋण व तकादा अथवा नोटिस मियाद यानी समय सीमा से बाहर है। चूंकि प्रतिवादी संख्या–1 ने गलत तरीके से वादीगण को नाजायज व बेजा तरीके से परेशान करने और गलत वसूलयाबी करने की गरज से नोटिस जारी की है लिहाजा जरूरत दावा हाजा दायर करने की आवश्यकता हुई। वाद का कारण सर्वप्रथम दिनांक 28.06.2002 को जब प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा ऋण वसूलयाबी की मौखिक सूचना दी गयी। उसके बाद हर रोज बमुकाम ग्राम–अकोहरिया, तहसील–लालगंज, परगना–खीरों, जिला–रायबरेली अदर हद अख्तियार समात अदालत हाजा पैदा हुआ। वादीगण द्वारा यह अनुतोष याचित है कि डिक्री घोषणार्थ बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अम्र की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा बैंक से लिया गया कर्ज वापसकर देने के बाद प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जारी किया गया ऋण वसूली परिपत्र खिलाफ वादीगण सरासर फर्जी नाकिस अवैध Null and void एवं शून्य है और उसके आधार पर वादीगण उक्त ऋण के अदा करने के जिम्मेदार नहीं है तथा खर्जा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे एवं अन्य जिस किसी सहायता के वादीगण प्रतिवादी संख्या–1 अथवा दोनों प्रतिवादीगण से मुश्तहक करार पाए जाये दिलाया जावे।

वाद पत्र में किये गये कथनों के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से अपना जवाबदावा कागज सं०–28 क 1 दाखिल कर वाद पत्र के कथनों से इन्कार करते हुए अतिरिक्त कथन में कहा है कि वाद पत्र की धारा–1 में वादीगण द्वारा अंकित तथ्य सर्वथा गलत एवं नितान्त असत्य हैं बल्कि वास्तविकता यह है कि शिवप्यारे, देवीदीन, गिरधारी व द्वारिका एवं महावीर व प्रतिवादी नं०–2 सूर्यबली ने कृषि कार्य हेतु एक

ट्रैक्टर प्रतिवादी नं०-1 बैंक की आर्थिक सहायता से खरीदने की इच्छा जाहिर की जिसके लिए शिवप्यारे, देवीदीन, गिरधारी, द्वारिका व महावीर ने एक प्रार्थनापत्र एवं सूर्यबली ने अलग प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। उक्त दोनों प्रार्थनापत्र एक ही ट्रैक्टर के ऋण के लिए प्रस्तुत किये गये थे। इस कारण दो प्रार्थनापत्रों की अलग-अलग परन्तु संयुक्त ऋण पत्रावली तैयार करने के उपरान्त प्रतिवादी नं०-1 /उत्तरदाता बैंक द्वारा ऋण देने के लिए समस्त वैधानिक औपचारिकता को पूर्ण करने एवं कराने के पश्चात शिवप्यारे, देवीदीन, गिरधारी व द्वारिका व महावीर ने अपनी सहखातेदारी की भूमि जिसकी भूमि संख्या-329 मि० रकबा 20-0-0 (बीस बीघा) स्थिति ग्राम अकोहरिया उपरोक्त को बैंक के पक्ष में दिनांक 09.06.1981 को बन्धक किया। इसी प्रकार सूर्यबली ने अपनी भूमि अलग बन्धक पत्र के आधार पर बन्धक किया। इस सभी वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण कराने के पश्चात शिवप्यारे, देवीदीन, गिरधारी, द्वारिका एवं महावीर को संयुक्त रूप से रूपया 60 हजार का ऋण एवं सूर्यबली को रूपया 7 हजार का ऋण कुल 67 हजार रूपये का ऋण उक्त ट्रैक्टर हेतु प्रदान किया गया था। प्रतिवादी/उत्तरदाता नं०-1 बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण के बदले ऋणी व्यक्ति की भूमि को बंधक रखकर उस भूमि के मूल्यांकन के आधार पर ऋण धनराशि प्रदान की जाती है और बैंक द्वारा उक्त दिये जाने वाले ऋण के बदले किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को गारन्टी के रूप में बंधक नहीं रखा जाता है। यहां पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि शिवप्यारे, देवीदीन, गिरधारी, द्वारिका व महावीर की भूमि बैंक के पक्ष में दिनांक 09.06.1981 को बंधक करने के उपरान्त ही मु० 60,000/- रूपये ऋण उक्त व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। उक्त व्यक्तियों की भूमि संख्या-329 मि० रकबा 20-0-0 को गारन्टी के रूप में बंधक नहीं की गयी है। शिवप्यारे आदि जो वादीगण के मूरिसान हैं को दिये गये ऋण 60 हजार रूपये एवं सूर्यबली को दिये गये ऋण 7 हजार रूपये को साढ़े 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर प्रदान किया गया था। जिसको उक्त व्यक्तियों द्वारा 7 वर्ष की अवधि में 6 माह की एक-एक किस्त के द्वारा अदा किया जाना था। उक्त ऋण की अदायगी के लिए एक ऋण वसूली खाता शिवप्यारे बाबत रूपया 60 हजार रूपये हेतु जिसका खाता नंबर एस०ए०नं० 8/27 है एवं दूसरा ऋण वसूली खाता सूर्यबली बाबत रूपया 7 हजार हेतु कायम किया गया जिसका खाता नं० एस०ए०नं० 8/26 है। शिवप्यारे, देवीदीन, गिरधारी, द्वारिका व महावीर ने रूपया 60 हजार ऋण के लिये अपनी भूमि नं०-329 मि० रकबा 20 बीघा बंधक की थी एवं सूर्यबली ने 7 हजार रूपये के लिए अपनी भूमि बंधक की थी जिसके उपरान्त प्रतिवादी नं०-1/उत्तरदाता द्वारा मु० 67 हजार रूपया का संयुक्त ऋण कृषि कार्य हेतु एक ट्रैक्टर के लिए प्रदान किया गया था जिसकी अदायगी के लिए सभी लोग व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार थे। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यदि कोई भी इकरारनामा शिवप्यारे आदि व सूर्यबली के बीच ऋण अदायगी के सम्बन्ध में आपस में हुआ हो तो इस इकरारनामा का प्रतिवादी नं०-1/उत्तरदाता बैंक को कोई

ज्ञान नहीं है एवं उभयपक्षों के मध्य यदि आपस में कोई इकरारनामा हुआ भी है तो इसमें प्रतिवादी/उत्तरदाता नं०–1 से कोई मतलब व सरोकार नहीं है। वादीगण द्वारा अंकित तथ्य कि "जमींदारान जो वादीगण के मूरिसान थे उनकी जिन्दगी में ऋण की अदायगी की कोई नोटिस आदि नहीं आयी।" सर्वथा गलत एवं नितान्त असत्य एवं मनगढ़न्त है, बल्कि वास्तविकता यह है कि वादीगण के मूरिसान जमींदारान गारन्टर नहीं थे बल्कि बैंक से ऋण प्राप्त करने के कारण ऋणी थे एवं ऋणी होने के कारण समय–समय पर बराबर ऋण अदायगी के लिए नोटिस आदि भेजी जाती रही है जिसके कारण शिवप्यारे आदि ने विभिन्न तारीखों में ऋण की अदायगी के रूप में धनराशि अपने ऋण वसूली खाते नं० एस०ए०नं० 8/27 में जमा की है जिनका विवरण दिनांक के क्रमानुसार निम्नलिखित है परन्तु उक्त ऋण व्यक्तियों द्वारा जो भी ऋण की धनराशि अदा की गयी वह निर्धारित समयानुसार नहीं की गयी है। उपरोक्त प्रतिवाद पत्र की धारा–17 में अंकित जमा की गयी धनराशि, प्रतिवादी नं०–1/उत्तरदाता बैंक द्वारा शिवप्यारे आदि को ऋण अदायगी करने के लिए प्रेषित नोटिस के उपरान्त शिवप्यारे आदि द्वारा अदा की गयी जिसकी प्राप्ति रसीद शिवप्यारे आदि को बैंक द्वारा प्रदान की गयी थी। शिवप्यारे आदि प्रतिवादी नं०–1/उत्तरदाता बैंक के ऋणी सदस्य थे और बैंक द्वारा भेजी गयी नोटिस आदि के उपरान्त बैंक को उनके द्वारा उक्त धनराशि के किश्तों के रूप में अदा की गयी थी। वादीगण के मूरिसान द्वारा लिये गये उक्त ऋण 60 हजार रूपये की अदायगी की समस्त धनराशि दिनांक 31.07.2004 तक पैनल 22330.40 अतिरिक्त ब्याज 129490/– ब्याज 13544.70 रूपया मूलधन 50107 रूपया कुल 2,15,473 रूपया एवं वसूली शुल्क आदि बकाया है जिसे आज तक अदा करने के लिए वादीगण जिम्मेदार हैं। प्रतिवादी/उत्तरदाता नं०–1 बैंक द्वारा उक्त प्रश्नगत ट्रैक्टर की खरीद हेतु शिवप्यारे, देवीदीन व गिरधारी व द्वारिका व महावीर को रूपया 60 हजार एवं सूर्यबली को 7 हजार रूपये कुल 67 हजार रूपये का ऋण प्रदान किया गया है। शिवप्यारे आदि रूपया 60 हजार एवं सूर्यबली 7 हजार रूपये को अदा करने के लिए जिम्मेदार थे। सूर्यबली, प्रतिवादी संख्या–2 ने अपने नाम के ऋण मु० 7 हजार रूपया को मय ब्याज एवं अन्य देय के साथ दिनांक 06.03.1999 को अदा करके नो ड्यूज प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है जबकि शिवप्यारे आदि द्वारा लिया गया ऋण मु० 60 हजार की अदायगी सम्पूर्ण रूप से न होने के कारण नो ड्यूज प्रमाणपत्र वादीगण को नहीं प्रदान किया गया है। वादीगण के मूरिसान एवं प्रतिवादी नं०–2 ने कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर खरीदने के लिए संयुक्त रूप से ऋण के लिए अपने–अपने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये और अपनी–अपनी भूमि बैंक के पक्ष में बंधक किया तदुपरान्त सारी औपचारिकता पूर्ण होने के उपरान्त बैंक द्वारा वादीगण के मूरिसानगण को 60 हजार रूपया एवं प्रतिवादी नं०–2 को 7 हजार रूपया का ऋण अलग–अलग प्रदान किया गया था जिसको कि अदा करने के लिए वादीगण के मूरिसान व प्रतिवादी नं०–2 अलग–अलग व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार थे।

प्रतिवादी नं०–2 सूर्यबली ने अपने द्वारा लिये गये ऋण मु० 7 हजार को मय ब्याज के प्रतिवादी/उत्तरदाता नं०–1 बैंक को अदा कर दिया है परन्तु वादीगण के मूरिसानों द्वारा लिये गये 60 हजार रूपया के ऋण को अदा करने के लिये समय–समय पर वैधानिक नोटिस आदि भेजी जाती रही है। वसूली के सम्बन्ध में बैंक द्वारा नियमानुसार धारा–95 क अन्तर्गत उ०प्र० को–आपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है जिसके उपरान्त सन 1984–85 एवं 1985–86 से आर०सी० की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप ही वादीगण के मूरिसान द्वारा प्रतिवाद पत्र की धारा–17 में अंकित जमा धनराशि को बैंक को अदा किया है। वादीगण के मूरिसान ने रूपया 60 हजार का ऋण प्राप्त करने के पश्चात आर०सी० की कार्यवाही सम्पादित होने पर भी अपने जीवनकाल में उक्त अपने द्वारा लिये गये ऋण को सम्पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी वादीगण द्वारा भी ऋण की अदायगी न करने के कारण प्रतिवादी नं०–1 बैंक द्वारा नियमानुसार एवं वैधानिक रूप से ऋण की बकाया धनराशि की वसूली हेतु नोटिस भेजी है जो कि वादीगण के मूरिसान द्वारा प्रतिवादी/उत्तरदाता नं०–1 बैंक से ट्रैक्टर हेतु संयुक्त ऋण मु० 60 हजार रूपये प्राप्त करने एवं उसका भुगतान न करने के कारण भेजी गयी गयी है। यहां पर यह भी अंकित करना न्याय संगत है कि वादीगण ने प्रतिवादी नं०–2 की वाद उपरोक्त में अनावश्यक रूप से पक्षकार वाद बनाया है जबकि उसके ऊपर कोई ऋण की देनदारी शेष नहीं है। वादीगण के मूरिसान ने प्रतिवादी/उत्तरदाता बैंक से ट्रैक्टर हेतु दिनांक 17.06.1981 को मु० 60 हजार रूपया का ऋण प्राप्त किया है और बैंक में उक्त ऋण का वसूली खाता खोला गया है जिसका खाता नं० एस०ए०नं० 8/27 है। उक्त ट्रैक्टर की खरीद में संयुक्त रूप से लिये गये ऋण में वादीगण के मूरिसान ने रूपया 60 एवं प्रतिवादी नं०–2 ने रूपया 7 हजार का ऋण प्राप्त किया था। प्रतिवादी नं०–2 ने अपने द्वारा लिये गये ऋण मु० 7 हजार को अदा कर देने के कारण प्रतिवादी नं०–2 की भूमि बंधक मुक्त कर दी गयी परन्तु वादीगण के मूरिसान द्वारा लिये गये ऋण मु० 60 हजार रूपये की सम्पूर्ण अदायगी न किये जाने के कारण वादीगण के मूरिसान द्वारा बंधक की गयी भूमि बंधक मुक्त नहीं की जा सकी है। प्रतिवादी नं०–2 एवं वादीगण के मूरिसान के बीच क्या अनुबंध हुआ इसका प्रतिवादी नं०–1/उत्तरदाता को कोई ज्ञान नहीं है न ही आपस में किये गये अनुबंध में प्रतिवादी/उत्तरदाता नं०–1 को मतलब सरोकार नहीं है। वादीगण के मूरिसानों द्वारा लिये गये ऋण की सम्पूर्ण अदायगी जब तक नहीं हो जाती है तब तक प्रतिवादी नं०–1/उत्तरदाता बैंक को ऋण वसूली हेतु नोटिस भेजने का दायित्व है। नोटिस निर्गत करने के बावजूद भी वसूली न होने के कारण वसूली प्रमाणपत्र जारी करने हेतु जिलाधिकारी को प्रमाणपत्र प्रेषित किया गया है जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा वसूली कार्यवाही की जा रही है। वादीगण के मूरिसानों द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी हेतु समय–समय पर नियमानुसार नोटिस आदि भेजी जाती रही है एवं

सन 1984–85 से उक्त ऋण की वसूली हेतु आर०सी० की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। वादीगण के मूरिसानों के द्वारा लिये गये ऋण मु० 60 हजार रूपये की सम्पूर्ण अदायगी न करने एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान वादीगणों द्वारा ऋण की वसूली हेतु जो भी नोटिस आदि जारी की गयी है वह नियमानुसार एवं वैधानिक रूप से जारी की गयी है एवं वादीगण उक्त ऋण की अदायगी से बचने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर यह वाद प्रस्तुत किया है जो कि निरस्त होने योग्य है। वादीगण के मूरिसानों शिवप्यारे आदि द्वारा उक्त लिये गये ऋण मु० 60 हजार रूपये की सम्पूर्ण अदायगी निर्धारित अवधि में न करने के कारण उनके विरूद्ध सन 1984–85 में ही आर०सी० की कार्यवाही जारी थी एवं वर्तमान में वादीगण के विरूद्ध आर०सी० की कार्यवाही जारी है इसलिये धारा–287 ए एवं धारा–330 जमीदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम से बाधित है। प्रतिवादी नं०–1/उत्तरदाता बैंक उ०प्र०को–आपरेटिव बैंक सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड सहकारी संस्था है एवं वादीगण के मूरिसान शिवप्यारे आदि प्रतिवादी नं०–1/उत्तरदाता बैंक सहकारी सदस्य है। इस कारण यदि वादीगण का बैंक से कोई विवाद है तो उक्त विवाद को–आपरेटिव रजिस्ट्रेशन को प्रस्तुत करना चाहिए था। इस कारण वादीगण का वाद न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार से परे है और इस कारण वादगण का वाद पोषणीय नहीं है खारिज होने योग्य है। उ०प्र०को–आपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1965 की धारा 117 के अनुसार वादीगण को उक्त वाद दायर करने के पूर्व रजिस्ट्रार सोसाइटी को 2 माह पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। वादीगण के द्वारा रजिस्ट्रार को धारा–117 के अन्तर्गत वाद पूर्व नोटिस न दिये जाने वादीगण का वाद पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है। वादीगण का वाद धारा–111 उ०प्र०को–आपरेटिव सोसाइटी अधिनियम से बाधित है और पोषणीय नहीं है इस कारण निरस्त होने योग्य है। वादीगण को उसके मूरिसान शिवप्यारे आदि द्वारा लिये गये ऋण की जानकारी भली–भांति थी तथा यह भी जानकारी थी कि उनके मूरिसान शिवप्यारे आदि के विरूद्ध समयानुसार किश्तों की अदायगी न करने के कारण एवं ऋण की वसूली न हो पाने के कारण उनके विरूद्ध आर०सी० की कार्यवाही लम्बित चल रही है तथा उपरोक्त जानकारी होने के बावजूद भी वादीगण ने बजाये बकाया ऋण के अदा करने के आर०सी० कट जाने के उपरान्त उपरोक्त वाद सभी तथ्यों को भली प्रकार जानने के बावजूद भी उक्त वाद गलत तथ्यों के आधार पर योजित किया है। वादीगण को उनके विरूद्ध तहसील द्वारा आर०सी० की कार्यवाही सम्पादित किये जाने की जानकारी होने के बावजूद भी वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद में जिलाधिकारी रायबरेली एवं तहसीलदार लालगंज रायबरेली को पक्षकार वाद नहीं बनाया है जबकि वे आवश्यक पक्षकार वादीगण द्वारा उक्त वाद में उक्त दोनों लोगों को पक्षकार न बनाये जाने के कारण वादीगण का वाद नान ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज के दोष से ग्रसित है और पोषणीय नहीं है, निरस्त होने योग्य है। वादीगण ने उक्त ऋण की अदायगी से बचने के लिए गलत एवं

निराधार तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी नं०–1/उत्तरदाता को उक्त वाद में अनावश्यक पक्षकार वाद बनाया है जिसके कारण प्रतिवादी/उत्तरदाता को अत्यधिक आर्थिक राजस्व क्षति का सामना करा पड़ रहा है इसलिये प्रतिवादी/उत्तरदाता को वादीगण से विशेष हर्जा अन्तर्गत धारा–35 ए जा०दीवानी के पाने के अधिकारी हैं दिलाया जावे। वादीगण का वाद हर तरह से खारिज होने योग्य है निरस्त किया जावे।

वाद पत्र में किये गये कथनों के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से अपना जवाबदावा कागज सं०–14 क 1 दाखिल कर वाद पत्र के कथनों से इन्कार करते हुए अतिरिक्त कथन में कहा है कि वादी संख्या–1 ता 4 के पिता शिवप्यारे एवं वादी संख्या–5 ता 7 के पिता महावीर व देवीदीन व द्वारिका ने सन 1980–81 में ऋण पर ट्रैक्टर लेने का विचार किया तथा प्रतिवादी संख्या–1 ने बैंक से सम्पर्क किया। उनके कृषि खाते पर 15–15 हजार रूपये का ऋण किया जा सकता था यानी कुल ऋण 60 हजार हो रहा था जबकि वास्तविकता जरूरत 67 हजार रूपये की थी जिस पर उन लोगों ने प्रार्थी प्रतिवादी संख्या–1 के समक्ष साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा। जिस पर प्रतिवादी संख्या–1 सहमत होकर अपने कृषि खाते लगाकर अपने नाम मु० 7 हजार रूपये का ऋण प्रतिवादी संख्या–1 बैंक से प्राप्त किया तथा 15–15 हजार रूपये ऋण शिवप्यारे, महावीर, देवीदीन एवं द्वारिका ने प्राप्त किया। सभी ऋणी के अलग–अलग खाता प्रतिवादी संख्या–1 बैंक द्वारा बनाया गया। प्रतिवादी संख्या–1 से ऋण प्राप्त कर पांचों ऋणी ने मिलकर ट्रैक्टर आयशर यू०एस०यू० 4974 खरीदा गया और उक्त ट्रैक्टर से सभी ऋणी अपना–अपना खेत जोतते थे तथा अपने खेतों की जुताई से बचे समय में महावीर अन्य खेतों की जोताई का कार्य किराये पर करते रहे। उक्त ट्रैक्टर महावीर के नियंत्रण में शुरू से रही। कुछ समय तक प्रतिवादी संख्या–2 का खेत उसी ट्रैक्टर से जोता जाता रहा किन्तु कुछ समय उपरान्त सन 1985–86 में शिवप्यारे की मृत्यु हो गयी और शिवप्यारे के लड़के शिवप्यारे की भांति व्यवहार नहीं कर रहे थे। शिवप्यारे के लड़के व महावीर व द्वारिका व देवीदीन आपस एकराय होकर प्रतिवादी संख्या–2 को ट्रैक्टर जुताई के लिए देना बंद कर दिया जिससे प्रतिवादी संख्या–2 को काफी असुविधा हो रही थी। प्रतिवादी संख्या–2 कई बार विरोध भी किया किन्तु अक्सर प्रतिवादी की जुताई के समय गाड़ी उपलब्ध नहीं होती थी। प्रतिवादी संख्या–2 ने अपना हिस्सा उस ट्रैक्टर से खत्म करने की बात कही किन्तु अन्य खातेदारान द्वारा न तो प्रार्थी के ऋण खाते की धनराशि की अदायगी की गयी और न ही ट्रैक्टर जोतने के लिए दिया जाता रहा। प्रतिवादी संख्या–2 ने जब देखा कि अन्य खातेदारान के मन में बेईमानी आ गयी है वे प्रार्थी को खाते का न तो ऋण अदायगी कर रहे थे और न ट्रैक्टर जोतने को दे रहे थे। तब प्रतिवादी संख्या–2 किराये पर ट्रैक्टर लेकर अपना कृषि कार्य करने लगे तथा कई बार वादीगण से अपने ऋण व खाते की धनराशि अदायगी के लिए कहा किन्तु वे प्रतिवादी संख्या–2 की बातों को ध्यान नहीं देते थे। प्रतिवादी अपना ऋण

खाता समाप्त कर दिया। चूंकि प्रार्थी प्रतिवादी को बिना ट्रैक्टर के परेशानी हो रही थी लिहाजा प्रतिवादी संख्या–2 प्रार्थी का ऋण खाता की धनराशि की अदायगी नहीं हो रही थी और ट्रैक्टर का पूर्ण लाभ अन्य साझीदार उठाते रहे। इसी दरम्यान अन्य साझीदारान आपस में एकराय होकर बिना प्रतिवादी संख्या–2 की सहमति के उक्त ट्रैक्टर का विक्रय भी कर दिया। ट्रैक्टर विक्रय करने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या–2 के ऋण खाते की धनराशि की अदायगी नहीं की तब मजबूरन प्रतिवादी संख्या–2 अपने ऋण खाते की धनराशि की अदायगी प्रतिवादी संख्या–1 बैंक को दिनांक 06.03.1999 में कर अपना ऋण खाता समाप्त किया। प्रतिवादी अपना ऋण खाता समाप्त कर दिया। चूंकि प्रार्थी प्रतिवादी को बिना ट्रैक्टर के परेशानी हो रही थी लिहाजा प्रतिवादी संख्या–2 ने प्रतिवादी संख्या–1 से सम्पर्क कर अपना ट्रैक्टर निकलवाने की बातचीत की प्रतिवादी संख्या–1 ने प्रतिवादी संख्या–2 सूर्यबली एवं प्रतिवादी का रिश्तेदार रामसनेही ने मिलकर प्रतिवादी संख्या–1 बैंक से ऋण प्राप्त कर एस्कार्ट ट्रैक्टर नं०– UP 33 E 9469 क्रय किया जिससे आज भी प्रतिवादी कृषि कार्य कर रहा है। पूर्व के साझे में क्रय किये गये ट्रैक्टर आयशर यू०एस०यू० 4974 से जो आमदनी होती थी। उससे शिवप्यारे आदि अपने खाते की ऋण अदायगी करते थे। उन लोगों ने कभी प्रतिवादी संख्या–2 के ऋण खाते की अदायगी नहीं की। शिवप्यारे, महावीर, देवीदीन व द्वारिका ने प्रतिवादी संख्या–1 बैंक से 15–15 हजार ऋण प्राप्त किया तथा महावीर उक्त ट्रैक्टर को अपने नियंत्रण में रखते थे और उसी की आमदनी से वे लाभान्वित होते रहे और उक्त ट्रैक्टर को बिना प्रतिवादी संख्या–2 की राय के विक्रय कर धन अर्जित किया किन्तु वे अपने ऋण खाते की धनराशि की अदायगी नहीं की जिसकी अदायगी की जिम्मेदारी उनकी व्यक्तिगत थी। ऐसी स्थिति में यदि उनके खाते का कोई ऋण बकाया है तो उससे प्रतिवादी संख्या–2 का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। शिवप्यारे व देवीदीन, द्वारिका एवं महावीर की मृत्यु हो चुकी है। शिवप्यारे के वारिसान वादी संख्या–1 ता 4 हैं तथा देवीदीन की एकमात्र उत्तराधिकारणी उनकी लड़कियां हैं तथा द्वारिका के वारिस उनका लड़का बैजनाथ है तथा महावीर के वारिसान वादी संख्या–5 ता 7 हैं। जो उनके ऋण की अदायगी के उत्तराधिकारी हैं। वादीगण जो ऋणी शिवप्यारे, देवीदीन, महावीर के वारिसान हैं जिनकी ऋण अदायगी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। सहऋणी द्वारिका के वारिस उत्तराधिकारी उनका पुत्र बैजनाथ जो अपने दायित्वों से बचने के लिए वादीगण की भांति पूर्व में वाद योजित किया था जो खारिज हो चुका है। पुनः उसी वाद कारण पर प्रस्तुत वाद कानूनन पोषणीय नहीं है। वादीगण का यह कथन कि उनके पूर्वज गारेन्टर थे, सरासर गलत है वे मुख्य ऋणी थे जिन्होंने अपने ऋण खाते की धनराशि की अदायगी नहीं की है जिसकी जिम्मेदार वादीगण की स्वयं की है किन्तु वादीगण अपने दायित्वों से बचने के लिए गलत तथा दर्शाकर प्रस्तुत वाद योजित किया है जो कतई पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी संख्या–2 ने अपने हिस्से का ऋण जिसका अलग ऋण खाता

था की अदायगी दिनांक 06.03.1999 को प्रतिवादी संख्या–1 बैंक को कर दी है और अपने दायित्व से अवमुक्त हो चुका है लिहाजा वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–2 पोषणीय नहीं है और खारिज होने योग्य है। बैजनाथ जो सहऋणी द्वारिका के विधिक वारिसान है को पक्षकार नहीं बनाया गया है लिहाजा दावा वादीगण आवश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन के दोष से दोषित है। वादीगण बदनियती से प्रतिवादी संख्या–2 को बेजा हैरान व परेशान करने गरज से वाद में पक्षकार बनाया है। लिहाजा वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–2 खारिज होने योग्य है तथा प्रतिवादी संख्या–2 अन्तर्गत धारा–35 ए जाब्ता दीवानी विशेष व्यय वादीगण से पाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या–2/1 ता 2/5 द्वारा अतिरिक्त जवाबदावा कागज संख्या–108 क 1 दाखिल करते हुए दावा वादीगण सव्यय खारिज होने योग्य कहा गया है तथा उत्तरदाता वादीगण से विशेष हर्जा अं०धारा–35 ए जा०दी० के तहत प्रतिवादीगण से दिलाया जाना कहा गया है।

वादीगण की ओर से अपना जवाबुल जवाब कागज संख्या–15 क 1 मिन जानिब प्रतिवादी संख्या–2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या–2 का लिखित उत्तर सच्चाई पर आधारित नहीं है उसमें सच्चाई छिपायी गयी है। उसमें झूठे व बनावटी तथ्य अंकित किये गये हैं। वादीगण बैंक के बकायेदार नहीं है। प्रतिवादी संख्या–2 ने प्रतिवादी संख्या–1 के अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर अपने लिखित कथन में झूठा अभिकथन किया है जो सच्चाई पर आधारित नहीं है अतः वादीगण को स्वीकार नहीं है व वादीगण द्वारा प्रतिउत्तर कागज संख्या–39 क 1 मिन जानिब प्रतिवादी संख्या–1 प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि बैंक द्वारा कर्ज की वसूली कालातीत होने के कारण विधि सम्मति नहीं है। इस कारण भी वादीगण बैंक द्वारा कथित धनराशि अदा करने के लिये उत्तरदायी नहीं है। वादीगण के विरूद्ध बैंक द्वारा की जा रही वसूली की कार्यवाही विधि–विरूद्ध है।

उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2004 व 14.12.2017 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गयेः–

1– क्या वादीगण वाद पत्र में अभिकथित कथनों के आधार पर अपने विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जारी किये गये वसूली प्रमाणपत्र को शून्य घोषित करा पाने के अधिकारी हैं?

2– क्या वादीगण के मूरिसान प्रतिवादी संख्या–2 के साथ भूमि विकास बैंक, शाखा–लालगंज, रायबरेली से संयुक्त रूप से कर्ज लिये थे तथा वे कर्ज की धनराशि के देनदान हैं? यदि हां तो प्रभाव।

3– क्या दावा वादीगण अल्पमूल्यांकित है एवं प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

4– क्या वाद पक्षकारों के असंयोजन के दोष से बाधित है?

5– क्या प्रतिवादी संख्या–2, वादीगण से धारा–35 ए जा०दी० अन्तर्गत विशेष हर्जा

पाने के अधिकारी हैं?

6– क्या प्रस्तुत वाद विधिक रूप से पोषणीय नहीं है?

7– क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?

8– क्या वादीगण का वाद उ०प्र० को–आपरेटिव बैंक सोसाइटी अधिनियम की धारा–111 व 117 से बाधित है? यदि हां तो प्रभाव।

वादीगण की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य मे सूची फेहरिस्त कागज संख्या–6ग1/1 से कागज संख्या–6ग1/2 रजिस्ट्री रसीद मूल रूप से, कागज संख्या–6ग1/3 नोटिस की छायाप्रति, कागज संख्या–6ग1/4 सुलहनामा की छायाप्रति, कागज संख्या–6ग1/5 ता कागज संख्या–6ग1/6 इकरारनामा की छायाप्रति, सूची फेहरिस्त कागज संख्या–47ग1 से कागज संख्या–48ग1/1 ता कागज संख्या–48ग1/2 इकरारनामा दिनांकित 02.05.1981 की मूलप्रति, दाखिल किये गये हैं।

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू० 1 संजय मोहन पी०डब्लू० 2 शिवगोविन्द व पी०डब्लू० 3 कालीचरन को परीक्षित कराया गया है।

प्रतिवादी नं०–1 की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य मे सूची फेहरिस्त कागज संख्या–30ग1/1 से कागज संख्या–30ग1/2 ऋण वसूली खाते की फोटोकापी बाबत शिवप्यारे, कागज संख्या–30ग1/3 ता कागज संख्या–30ग1/4 ऋण वसूली खाते की फोटोकापी बाबत सूर्यबली दाखिल किये गये हैं।

प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित विधि–व्यवस्थाएं दाखिल की गयी है–

1– ALR 1992 (20) ALL. HC 907

2– 2014 (32) LCD 277 SC

3– 2006 (64) ALR 178 SC

मेरे द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विधि–व्यवस्थाओं का ससम्मान अवलोकन किया गया। उपरोक्त विधि–व्यवस्थाएं प्रस्तुत वाद के तथ्यों से भिन्न होने के कारण प्रस्तुत वाद में लागू नहीं होती हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू० 1 दीपक गुप्ता, शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक व डी०डब्लू० 2 शिवप्रताप को परीक्षित कराया गया है।

मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु सं०–3

वाद बिन्दु सं०–3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा

वादीगण अल्पमूल्यांकित है एवं प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

उपरोक्त वाद बिन्दु न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.03.2004 के द्वारा निर्णीत किया जा चुका है जो निर्णय का भाग होगा।

निस्तारण वाद बिन्दु सं०–1व 2

वाद बिन्दु सं०–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण वाद पत्र में अभिकथित कथनों के आधार पर अपने विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जारी किये गये वसूली प्रमाणपत्र को शून्य घोषित करा पाने के अधिकारी हैं? व वाद बिन्दु सं०–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण के मूरिसान प्रतिवादी संख्या–2 के साथ भूमि विकास बैंक, शाखा–लालगंज, रायबरेली से संयुक्त रूप से कर्ज लिये थे तथा वे कर्ज की धनराशि के देनदान हैं? यदि हां तो प्रभाव।

उपरोक्त वाद बिन्दु संख्या–1 को साबित करने का भार वादीगण पर है तथा वाद बिन्दु संख्या–2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र की धारा–1 व 2 में यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या–2 ने प्रतिवादी संख्या–1 से ट्रैक्टर खरीदने के लिये दिनांक 17.06.1981 को मु० 60,000/– रूपये का नकद ऋण लिया था। जिसके जमानतगीर वादीगण संख्या–1 ता 4 माताप्रसाद, संजय मोहन, आशाराम, करूणा शंकर पुत्रगण शिवप्यारे के पिता स्व० शिवप्यारे एवं वादीगण संख्या–5 ता 7 के बिन्दाप्रसाद, दयाराम व दर्शन पुत्रगण महाबीर के पिता महाबीर एवं वादीगण संख्या–8 व 9 भगवानदीन पुत्र दुलारे व पुत्तीलाल पुत्र सुखलाल के नाना देवीदीन थे। प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से उक्त जमींदारान ने प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में अपनी भूमि तत्कालीन खाता संख्या–140 वर्ष 1385 फ० स्थित ग्राम अकोहरिया, परगना–खीरों, तहसील–लालगंज, जिला–रायबरेली बतौर गिरवी रखी दी थी जिसके विषय में प्रतिवादी संख्या–2 ने उक्त जमींदारान के पक्ष में एक इकरारनामा इस आशय का लिख दिया था कि वह सम्पूर्ण ऋण की अदायगी स्वयं करेगा और जमींदारान की बंधक शुदा जमीन पर किसी प्रकार का कोई भार कभी भी नहीं आवेगा।

प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से प्रतिवाद पत्र की धारा–13 व 14 में यह कथन किया गया है कि उक्त दोनों प्रार्थनापत्र एक ही ट्रैक्टर के ऋण के लिए प्रस्तुत किये गये थे। इस कारण दो प्रार्थनापत्रों की अलग–अलग परन्तु संयुक्त ऋण पत्रावली तैयार करने के उपरान्त प्रतिवादी नं०–1 /उत्तरदाता बैंक द्वारा ऋण देने के लिए समस्त वैधानिक औपचारिकता को पूर्ण करने एवं कराने के पश्चात शिवप्यारे, देवीदीन, गिरधारी व द्वारिका व महावीर ने अपनी सहखातेदारी की भूमि जिसकी भूमि संख्या–329 मि० रकबा 20–0–0 (बीस बीघा) स्थिति ग्राम अकोहरिया उपरोक्त को बैंक के पक्ष में दिनांक 09.06.1981 को बन्धक किया। इसी प्रकार सूर्यबली ने अपनी भूमि अलग बन्धक पत्र के आधार पर बन्धक किया। इस सभी वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण

कराने के पश्चात शिवप्यारे, देवीदीन, गिरधारी, द्वारिका एवं महावीर को संयुक्त रूप से रूपया 60 हजार का ऋण एवं सूर्यबली को रूपया 7 हजार का ऋण कुल 67 हजार रूपये का ऋण उक्त ट्रैक्टर हेतु प्रदान किया गया था। प्रतिवादी/उत्तरदाता नं०–1 बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण के बदले ऋणी व्यक्ति की भूमि को बंधक रखकर उस भूमि के मूल्यांकन के आधार पर ऋण धनराशि प्रदान की जाती है और बैंक द्वारा उक्त दिये जाने वाले ऋण के बदले किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को गारन्टी के रूप में बंधक नहीं रखा जाता है। यहां पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि शिवप्यारे, देवीदीन, गिरधारी, द्वारिका व महावीर की भूमि बैंक के पक्ष में दिनांक 09.06.1981 को बंधक करने के उपरान्त ही मु० 60,000/– रूपये ऋण उक्त व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। उक्त व्यक्तियों की भूमि संख्या–329 मि० रकबा 20–0–0 को गारन्टी के रूप में बंधक नहीं की गयी है।

प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से प्रतिवाद पत्र की धारा–13 में यह कथन किया गया है कि वादी संख्या–1 ता 4 के पिता शिवप्यारे एवं वादी संख्या–5 ता 7 के पिता महावीर व देवीदीन व द्वारिका ने सन 1980–81 में ऋण पर ट्रैक्टर लेने का विचार किया तथा प्रतिवादी संख्या–1 ने बैंक से सम्पर्क किया। उनके कृषि खाते पर 15–15 हजार रूपये का ऋण किया जा सकता था यानी कुल ऋण 60 हजार हो रहा था जबकि वास्तविकता जरूरत 67 हजार रूपये की थी जिस पर उन लोगों ने प्रार्थी प्रतिवादी संख्या–1 के समक्ष साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा। जिस पर प्रतिवादी संख्या–1 सहमत होकर अपने कृषि खाते लगाकर अपने नाम मु० 7 हजार रूपये का ऋण प्रतिवादी संख्या–1 बैंक से प्राप्त किया तथा 15–15 हजार रूपये ऋण शिवप्यारे, महावीर, देवीदीन एवं द्वारिका ने प्राप्त किया। सभी ऋणी के अलग–अलग खाता प्रतिवादी संख्या–1 बैंक द्वारा बनाया गया।

पी०डब्लू० 1 संजय मोहन ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि "ट्रैक्टर खरीदने के लिये ऋण लिया गया था। 60 हजार रूपया का ऋण सूरजबली ने प्रतिवादी संख्या–1 से लिया था। इसके अतिरिक्त 7 हजार रूपये का अतिरिक्त ऋण सूरजबली ने अपने नाम लिया था। बैंक द्वारा प्रत्येक खातेदार को मु० 15–15 हजार रूपये का ऋण प्रदान किया गया था। खातेदार का नाम शिवप्यारे, महावीर, देवीदीन व द्वारिका है। इन लोगों की जमीन बैंक के पक्ष में गिरवी रखी गयी थी। सूरजबली ने सात हजार रूपया का ऋण लिया था और अपनी जमीन बंधक रखी थी। इस मुकदमें में वादी की तरफ से एक इकरारनामा दिनांकित 02.05.1981 दाखिल हुआ है। यह इकरारनामा शिवप्यारे, महावीर, देवीदीन, द्वारिका और सूरजबली के मध्य हुआ था। यह इकरारनामा मुझे मालूम नहीं है कि कहां हुआ लेकिन नोटिरी से हुआ था। इस इकरारनामा से बैंक का कोई मतलब व सरोकार नहीं था। ट्रैक्टर आयशर नं० USU 4974 सूरजबली ने ऋण से लिया था। यह आयशर ट्रैक्टर सन 1994 में बेंचा गया। मुझे नहीं मालूम कि सबकी

कर्ज की पत्रावलियां अलग–अलग थीं। मुझे मालूम है कि सूरजबली ने जो ऋण लिया था उसकी अदायगी कर दी है।"

पी०डब्लू० 2 शिवगोविन्द ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि "यह मुकदमा प्यारे के लड़का ने दायर किया था। यह मुकदमा सूर्यबली के ऊपर दायर किया है। सूरजबली ने ट्रैक्टर निकलवाया था। सूरजबली ने कर्ज लिया था। सूरजबली के अलावा और किसी ने कर्ज नहीं लिया था। सूरजबली ने बैंक से कितनी कर्जा लिया था मुझे नहीं पता है। मैं नहीं जानता कि शिवप्यारे, महावीर, द्वारिका ने बैंक से ट्रैक्टर के लिये मु० 60 हजार रूपया का ऋण लिया था। यह कहना सही है कि शिवप्यारे, देवीदीन, गिरधारी, द्वारिका एवं महावीर ने अपनी भूमि बंधक रखकर बैंक से कर्जा लिया था। मैं नहीं जानता कि सूरजबली ने बैंक से अपनी जमीन बंधक रखकर सात हजार ऋण लिया था। सूरजबली व शिवप्यारे आदि के बीच में इकरारनामा हुआ था। इस बात की मुझे जानकारी नहीं है कि वादीगण ने ट्रैक्टर निकलवाने के लिये लोन लिया था या नहीं। मैं जो बयान देने आया हूँ वह माताप्रसाद ने कहा था।"

पी०डब्लू० 3 कालीचरन ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि "इकरारनामा पेपर नं०–48 क 1 को देखकर गवाह ने बताया वही इकरारनामा है जो सूरजबली ने लिखा था। सूरजबली ने यह कागज सन 81 में लिखा था जो टाइप शुदा है। इस पर सूरजबली के हस्ताक्षर हैं। इकरारनामा मेरे सामने सूरजबली, नरेन्द्र बहादुर व राधेश्याम गवाह ने हस्ताक्षर किया है।"

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि "मैंने जो ऐफिडेविट दाखिल किया है उसका अंगूठा लगा है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं इकरारनामा पर मौजूद हस्ताक्षरों को पढ़कर नहीं बता सकता कि यह किसके हस्ताक्षर हैं। ट्रैक्टर के लोन में चारों लोगों का नाम है। शिवप्यारे वगैरह की जमीन बंधक है या नहीं मैं नहीं बता सकता। यह सही है कि इस इकरारनामा पर मेरा कोई दस्तखत नहीं है। लोन मेरे सामने नहीं हुआ था। लोन किस बैंक से हुआ था मुझे नहीं मालूम। लोन किसके–किसके नाम स्वीकृत किया गया नहीं मालूम। कर्जा के कागज सूरजबली ने मेरे सामने भरा था। वहां पर मेरे अलावा शिवप्यारे, द्वारिका, महावीर, देवी भी उपस्थित रहे हैं। मैंने बतकही जो वहां हो रही थी वही सुना है। उसी सुने के आधार पर बयान दे रहा हूँ। इकरारनामा मैंने पढ़ा नहीं है न किसी से पढ़वाकर सुना था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ अंगूठा छाप हूँ। कोई कागज पढ़ ही नहीं पाता। मुझे जानकारी है कि 06.06.1985 को ट्रैक्टर संख्या–4974 खींचकर तहसील गया है। यह कहना गलत है कि जब शिवप्यारे आदि ने एक हजार रूपये व प्रार्थनापत्र दिया था तब ट्रैक्टर छूटा था।"

डी०डब्लू० 1 दीपक गुप्ता शाखा प्रबन्धक उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक शाखा–लालगंज, रायबरेली ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि "शाखा प्रबन्धक के पद पर लालगंज शाखा में मैं जनवरी 2004 से कार्यरत हूँ। यह ऋण सन

1981 में सैंक्शन हुआ है। यह ट्रैक्टर का संयुक्त शिवप्यारे आदि एवं सूरजबली को संयुक्त रूप से दिया गया था। मैं मौजूदा समय के बैंक के खाते के आधार पर कह रहा हूँ। इसकी नकल दाखिल की जा चुकी है। आज मैं शिवप्यारे के खाते का हिसाब लेकर आया हूँ। ऋण को शिवप्यारे आदि का अलग प्रार्थनापत्र व सूरजबली का अलग प्रार्थनापत्र आया था। जिसके आधार पर पत्रावलियां बनायी गयी। यह दोनों के एक ही दिन प्रार्थनापत्र आये। मैं कोई कागजात नहीं लाया हूँ, लेकिन पत्रावलियां का पूर्ण विवरण ऋण खाते में अंकित रहता है जो दाखिल है। प्रार्थनापत्र का उल्लेख खाते में नहीं रहता। खातेदार का नाम लिखा रहता है। यह ऋण ट्रैक्टर के लिये दिया गया था। ट्रैक्टर लेने के बाद ट्रैक्टर का बिल बाउचर एवं समस्त कागजात पत्रावली पर रहते हैं। यह लोन एक ही ट्रैक्टर के लिये संयुक्त रूप से दिया गया है। दोनों के अलग–अलग खाते थे। यह कहना गलत है कि संयुक्त ऋण का खाता एक ही होता है। मेरे यहां जब ट्रैक्टर के लिये कोई ऋण दिया जाता है तब कोई गारेन्टर नहीं होता, केवल पहचानकर्ता रहता है। मेरे विभाग से शिवप्यारे आदि को हर साल बकाये की नोटिस दी जाती है। मेरे द्वारा भी प्रतिवर्ष शिवप्यारे को नोटिस भेजी जाती है। नोटिस सभी बकायेदारों को प्रतिवर्ष भेजी जाती है। नोटिस भेजने का उल्लेख के सम्बन्ध में कोई अभिलेख पत्रावली में दाखिल नहीं किया है। शिवप्यारे आदि द्वारा कई बार खाते में पैसा जमा किया गया है जिसकी नकल दाखिल है। यह बताना मुश्किल है कि किसके द्वारा पैसा जमा किया गया है। मेरे कार्यकाल में शिवप्यारे आदि द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया। अन्तिम बार 1986 में शिवप्यारे द्वारा पैसा जमा किया गया है। इसका विवरण दाखिल किया जा चुका है। जमीन की मालियत के हिसाब से ऋण दिया जाता है। शिवप्यारे आदि पर 60 हजार एवं सूर्यबली को सात हजार का ऋण दिया गया। जो प्रपत्र दाखिल किया गया है वह फोटो स्टेट है, प्रमाणित नहीं है। यह कहना गलत है कि सूर्यबली द्वारा ऋण लिया गया था जिसमें शिवप्यारे आदि गारेन्टर के रूप में थे, जिन्हें ऋणदाता के रूप में अंकित किया गया है।"

डी०डब्लू० 2 शिवप्रताप ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि "मुझे यह जानकारी नही है कि लोन कब लिया गया था फिर कहा कि वर्ष 81 में लिया गया था। लोन 67 हजार रूपये का लिया गया था। लोन मेरे सामने नहीं लिया गया था। मुझे यह जानकारी है कि लोन शिवप्यारे, महावीर, द्वारिका व देवी ने लिया था। यह बात मेरे पिता जी ने बताया था। इस लोन से ट्रैक्टर लिया था। वह ट्रैक्टर मेरे पिता जी के पास नहीं रहता था। ट्रैक्टर का लोन मेरे पिता जी द्वारा नहीं लिया गया था। यह कहना गलत है कि मेरे पिता जी ने ट्रैक्टर का लोन लिया था और उसमें वादीगण के पिता गारेन्टर थे। यह कहना गलत है कि मेरे पिता जी से इस आशय का इकरारनामा हुआ था कि ट्रैक्टर का सारा लोन मेरे पिता जी अदा करेंगे। जो ट्रैक्टर लोन पर लिया गया था से वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने खेत जोतते थे। यह ट्रैक्टर पिता जी के कब्जे में नहीं रहता था।"

उपरोक्त वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्रों के कथनों एवं मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड शाखा लालगंज, जिला–रायबरेली से उनके मूरिसान द्वारा किसी प्रकार का ऋण लेने से इन्कार किया गया है तथा उन्हें प्रतिवादी संख्या–2 सूर्यबली के ऋण का गारेन्टर होना कहा गया है। वादीगण की ओर से पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह सिद्ध होता हो कि उनके मूरिसान प्रतिवादी संख्या–1 बैंक के ऋणी नहीं बल्कि गारेन्टर थे। पी०डब्लू० 1 संजय मोहन द्वारा अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया गया है कि बैंक द्वारा प्रत्येक खातेदार शिवप्यारे, महावीर, देवीदीन व द्वारिका को 15–15 हजार रूपये का ऋण प्रदान किया गया था। इन लोगों की जमीन बैंक के पक्ष में गिरवी रखी गयी थी। सूरजबली ने 7 हजार रूपये का ऋण लिया था तथा उसकी जमीन बंधक रखी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध इकरारनामा कागज संख्या–48ग1/2 दिनांकित 02.05.1981 को शिवप्यारे, महावीर, देवीदीन व द्वारिका और सूरजबली के मध्य होना स्वीकार किया गया। जो कि रजिस्टर्ड न होकर केवल नोटराइज्ड है। इस इकरारनामा से बैंक का कोई मतलब व सरोकार नहीं होना स्वीकार किया गया, क्योंकि बैंक इकरारनामा में कोई पक्षकार नहीं है। सूरजबली ने जो ऋण लिया था उसकी अदायगी कर देना स्वीकार किया गया है। पी०डब्लू० 2 शिवगोविन्द ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया कि शिवप्यारे, महावीर, देवीदीन व द्वारिका, गिरधारी ने अपनी भूमि बंधक रखकर बैंक से कर्जा लिया था। उसने वादी माताप्रसाद के कहने पर बयान देना कहा है। पी०डब्लू० 3 कालीचरन ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उसने इकरारनामे को न तो पढ़ा है न किसी से पढ़वाकर सुना है। इस साक्षी की साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि वादीगण के मूरिसान कथित ऋण के ऋणी न होकर गारेन्टर थे। डी०डब्लू० 1 दीपक गुप्ता शाखा प्रबन्धक उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक, शाखा–लालगंज, जिला–रायबरेली द्वारा अपनी साक्ष्य में शिवप्यारे आदि एवं सूरजबली को संयुक्त रूप से ट्रैक्टर खरीदने के लिये ऋण देना स्वीकार किया है। उपरोक्त लोन एक ही ट्रैक्टर के लिये संयुक्त रूप से दिया जाना कहा गया। इस साक्षी के द्वारा यह भी कहा गया कि जब बैंक से ट्रैक्टर के लिये कोई ऋण दिया जाता है तो कोई गारेन्टर नहीं होता है केवल पहचानकर्ता होता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादीगण के मूरिसान एवं सूर्यबली को एक ही ट्रैक्टर के लिये संयुक्त रूप से ऋण दिया गया। जिससे ऋण के सम्बन्ध में दोनों के अलग–अलग खाते बने। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या–48ग1/2 इकरारनामा दिनांकित 02.05.1981 वादीगण के मूरिसान व प्रतिवादी संख्या–2 सूरजबली के मध्य निष्पादित होना प्रतीत होता है। जिसका प्रतिवादी संख्या–1 बैंक द्वारा प्रदान किये गये ऋण के संदर्भ में बैंक से कोई वास्ता या सरोकार होना प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या–2 सूर्यबली द्वारा दिनांक 06.03.1999 को अपना समस्त ऋण अदा करने के उपरान्त बैंक से नो ड्यूज का

प्रमाणपत्र हासिल कर लिया गया। वादीगण की ओर से ऋण अदा न किये जाने के कारण उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही का नोटिस बैंक द्वारा जारी किया गया। वादीगण की ओर से ऋण न लिये जाने के सन्दर्भ में कोई अभिलेख पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। जब कि डी०डब्लू० 1 के कथनानुसार बैंक द्वारा ऋण दिये जाने पर कोई गारेन्टर नहीं होता। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा यह भी कथन किया गया कि बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण के बदले किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को गारन्टी के रूप में बंधक नहीं रखा जाता है। कथित ऋण की अदायगी के लिये दो खाते अलग–अलग बनाये गये। जिसमें शिवप्यारे आदि से 60 हजार की वसूली हेतु खाता नं० एस०ए नं०–8/27 तथा दूसरा ऋण वसूली खाता नं० एस०ए०नं० 8/26 सूर्यबली के द्वारा लिये गये ऋण 7 हजार रूपये हेतु बनाया गया। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से पत्रावली पर उपरोक्त खातों की फोटोप्रति कागज संख्या–30 ग 1/2 व 30 ग 1/3 दाखिल की गयी है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा उपरोक्त ऋण कृषि उद्देश्य से ट्रैक्टर खरीदने हेतु लिया गया। उत्तर प्रदेश पब्लिक मनीज् (रिकवरी ऑफ ड्यूज) एक्ट 1972 के अनुसार ट्रैक्टर खरीदने हेतु लिया जाना वाला ऋण कृषि ऋण की श्रेणी में आता है। जिस कारण प्रस्तुत वाद का कार्यवाही मालगुजारी की बकाया धनराशि की तरह वसूल होने के कारण उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 330(ग) से बाधित होगी।

यू०पी० एग्रीकल्चरल क्रेडिट एक्ट 1973 की धारा–11ए में यह प्रावधानित है कि यदि किसी कृषक को बैंक द्वारा आर्थिक सहायता हेतु धनराशि प्रदान की गयी है और वह कृषक उस धनराशि को ब्याज सहित नियत तिथि तक अदा नहीं कर पाता है तो बैंक का अधिकारी कलेक्टर को कृषक द्वारा देय धनराशि के संदर्भ में प्रमाणपत्र जारी करेगा। प्रमाणपत्र के प्राप्त होने पर कलेक्टर कृषक से ऋण वसूली मालगुजारी की बकाया धनराशि की तरह करेगा तथा ऋण वसूली के खर्चे को काटकर शेष धनराशि बैंक में अदा करेगा। इस प्रकार उपरोक्त प्रावधान के अनुसार मालगुजारी की बकाया धनराशि की तरह वसूल होने के कारण यह वाद उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 330(ग) से बाधित होगा।

उपरोक्त उत्तर प्रदेश पब्लिक मनीज् (रिकवरी ऑफ ड्यूज) एक्ट 1972 तथा यू०पी० एग्रीकल्चरल क्रेडिट एक्ट 1973 के प्रावधान के अनुसार चूंकि वादीगण की ओर से बकाया धनराशि मालगुजारी की बकाया धनराशि की तरह वसूल होगी। ऐसी दशा में यह वाद उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 330(ग) से बाधित होगा। उपरोक्त अधिनियम की धारा–330 में कुछ विषयों में दीवानी न्यायालय का अधिक्षेत्र न होना प्रावधानित है। इस धारा में यह प्रावधानित है कि इस नियम द्वारा या इसके अधीन की गयी व्यवस्था के सिवाय निम्नलिखित के सम्बन्ध में किसी दीवानी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। धारा–

330(ग) में यह अंकित है कि अध्याय 10 के अधीन मालगुजारी का निर्धारण या उसकी वसूली या मालगुजारी की बकाया की तरह वसूली योग्य किसी धनराशि की वसूली।

उपरोक्त समस्त विवेचन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जारी किये वसूली प्रमाणपत्र को शून्य घोषित करा पाने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार वाद बिन्दु संख्या–1 नकारात्मक रूप से वादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि वादीगण के मूरिसान ने प्रतिवादी संख्या–2 के साथ भूमि विकास बैंक, शाखा–लालगंज, जिला–रायबरेली से संयुक्त रूप से कर्ज लिया था तथा वे कर्ज की धनराशि के देनदार हैं। इस प्रकार वाद बिन्दु संख्या–2 सकारात्मक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं०–4</u>

वाद बिन्दु सं०–4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद पक्षकारों के असंयोजन के दोष से बाधित है?

इस वाद बिन्दु का साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से अपनी प्रतिवाद पत्र के पैरा संख्या–35 में यह कथन किया गया है कि वादीगण को उनके विरूद्ध तहसील द्वारा आर०सी० की कार्यवाही सम्पादित किये जाने की जानकारी होने के बावजूद भी वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद में जिलाधिकारी रायबरेली एवं तहसीलदार लालगंज रायबरेली को पक्षकार वाद नहीं बनाया है जबकि वे आवश्यक पक्षकार वादीगण द्वारा उक्त वाद में उक्त दोनों लोगों को पक्षकार न बनाये जाने के कारण वादीगण का वाद नान ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज के दोष से ग्रसित है और पोषणीय नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से न तो उक्त वाद बिन्दु पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही कोई बल दिया गया। अतः वाद बिन्दु संख्या–4 तद्नुसार निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं०–6 व 8</u>

वाद बिन्दु सं०–6 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रस्तुत वाद विधिक रूप से पोषणीय नहीं है? तथा वाद बिन्दु सं०–8 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण का वाद उ०प्र० को–आपरेटिव बैंक सोसाइटी अधिनियम की धारा–111 व 117 से बाधित है? यदि हां तो प्रभाव।

प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से प्रतिवाद पत्र की धारा–31,32,33 में यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी नं०–1/उत्तरदाता बैंक उ०प्र०को–आपरेटिव बैंक सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड सहकारी संस्था है एवं वादीगण के मूरिसान शिवप्यारे आदि प्रतिवादी नं०–1/उत्तरदाता बैंक सहकारी सदस्य है। इस कारण यदि वादीगण का बैंक से कोई विवाद है तो उक्त विवाद को–आपरेटिव रजिस्ट्रेशन को प्रस्तुत करना चाहिए था। इस कारण वादीगण का वाद न्यायालय श्रीमान जी के

क्षेत्राधिकार से परे है और इस कारण वादगण का वाद पोषणीय नहीं है खारिज होने योग्य है। उ०प्र०को–आपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1965 की धारा 117 के अनुसार वादीगण को उक्त वाद दायर करने के पूर्व रजिस्ट्रार सोसाइटी को 2 माह पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। वादीगण के द्वारा रजिस्ट्रार को धारा–117 के अन्तर्गत वाद पूर्व नोटिस न दिये जाने वादीगण का वाद पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है।

उ०प्र० को–आपरेटिव सोसाइटीज् एक्ट 1965 की धारा–70 में वे विवाद अंकित है जो आर्बिट्रेशन हेतु संदर्भित किये जा सकेंगे। को–आपरेटिव सोसाइटी व उसके सदस्य के मध्य बिजनेश से संदर्भित विवाद रजिस्ट्रार को संदर्भित किये जायेंगे तथा इस एक्ट की धारा–111 सी के अनुसार इस प्रकार के विवादों के संदर्भ में किसी दीवानी अथवा राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा, जो विवाद धारा–70 के अंतर्गत रजिस्ट्रार को संदर्भित किये जा सकेंगे।

उपरोक्त अधिनियम की धारा–117 के अनुसार को–आपरेटिव सोसाइटी के बिजनेश के संदर्भ में रजिस्ट्रार को दो माह की लिखित नोटिस की अवधि बीत जाने के उपरान्त ही वाद दायर किया जा सकेगा।

वादीगण के मूरिसान तथा प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा ट्रैक्टर खरीदने के लिये प्रतिवादी संख्या–1 उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड से ऋण लिया गया जो कि उनके सहकारी बैंक के सदस्य होने के कारण उन्हें दिया गया। वादीगण का बैंक से विवाद होने की दशा में उन्हें उक्त विवाद को–आपरेटिव रजिस्ट्रार को संदर्भित करना चाहिए था तथा दावा प्रस्तुत करने की दशा में रजिस्ट्रार सोसाइटी को 2 माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए था।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण का वाद उ०प्र० को–आपरेटिव बैंक सोसाइटी अधिनियम की धारा–111 व 117 से बाधित है। इस प्रकार वाद बिन्दु संख्या–8 सकारात्मक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

प्रतिवादीगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत वाद विधिक रूप से पोषणीय नहीं है।

वाद बिन्दु संख्या–1 व 2 के विवेचन/निर्णयन में विस्तारपूर्वक यह अंकित किया गया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद उत्तर प्रदेश पब्लिक मनीज् (रिकवरी ऑफ ड्यूज) एक्ट 1972 तथा यू०पी० एग्रीकल्चरल क्रेडिट एक्ट 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत वादीगण की ओर से बकाया धनराशि मालगुजारी की बकाया धनराशि की तरह वसूल होने के कारण उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 330(ग) से बाधित है। अतः वाद बिन्दु संख्या–6 तद्नुसार निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं०–5 व 7</u>

वाद बिन्दु सं०–5 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या

प्रतिवादी संख्या–2, वादीगण से धारा–35 ए जा०दी० अन्तर्गत विशेष हर्जा पाने के अधिकारी हैं? तथा वाद बिन्दु संख्या–7 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?

उपरोक्त वाद बिन्दु वार विवेचन/निर्णयन से यह स्पष्ट है कि वादीगण अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहे हैं, ऐसी स्थिति में वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद बिन्दु संख्या–7 तद्नुसार निर्णीत किया जाता है। प्रतिवादी संख्या–2, वादीगण से धारा–35 ए जा०दी० अन्तर्गत विशेष हर्जा पाने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते हैं। अतः वाद बिन्दु संख्या–5 तद्नुसार निर्णीत किया जाता है।

उपरोक्त वाद बिन्दुवार विवेचन/निर्णयन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खण्डित किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण खण्डित किया जाता है। पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

दिनांक 27.01.2018 (अन्जू काम्बोज)
सिविल जज (सी०डि०)एफ०टी०सी०
रायबरेली।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 27.01.2018 (अन्जू काम्बोज)
सिविल जज (सी०डि०)एफ०टी०सी०
रायबरेली।